न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –79/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
रामकरण पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर		1. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट 2. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम जाति जाट 3. परसाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट 4. चम्पादेवी पत्नि लिखमाराम जाति जाट 5. बादरराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासीगण टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर 6. तहसीलदार मेडता 7. पटवारी हल्का टालनपुर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पांचाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 की और से वकील श्री गोविन्द कडवा, श्री ओम प्रकाश गौड़ एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 14-2-19

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत तहसीलदार मेडता के आदेश संख्या भू.अ./शिविर/बंटवाडा/18/16 दिनांक 01.06.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.06.2018 को पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस का जबाब प्रस्तुत किया। वकुलाय के निवेदन पर वकुलाय की मौखिक बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में दिये गये तथ्यों एवं वकील रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस के संबंध में प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता के द्वारा प्रार्थीगण हीराराम व ओमप्रकाश के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करके बंटवाडा करने में कानूनी व वाकायती गलती की है। ग्राम टालनपुर की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 299 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.36 हैक्टर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी का काश्त कब्जासुदा है जिसका मौके पर बंटवाडा किया हुआ नहीं है व आज दिन भी मौके पर बंटवाडा किया हुआ नहीं है।

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश दिनांक 01.06.2018 को अपीलांट के घर पर ग्राम टालनपुर आया व कहा कि आज राजस्व कैम्प टालनपुर में है व बिना रूपये खर्च किये ही बंटवाडा हो रहे है अपने भी बंटवाडा करवा लेते है। अपीलांट को एक स्टाम्प व एक लिखित पर हस्ताक्षर व अंगूठा करने को कहा जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश को पूछा कि बराबर बंट किया है तो मै हस्ताक्षर व अंगूठा कर देता हूँ जिस पर रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने अपीलांट को कहा कि सभी का बराबर बराबर बंट किया है किसी के भी कम ज्यादा बंट नहीं किया है जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश के विश्वास में आकर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा कर दिया था। अपीलांट केवल हस्ताक्षर करना जानता है पढा लिखा हुआ नहीं है। रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने अपीलांट के हस्ताक्षर व अंगूठा करने के बाद में कहा कि मै यह कागजात तहसीलदार मेडता व उपखण्ड अधिकारी मेडता टालनपुर से आने वाले है, उनके समक्ष पेश कर देंगे व जरूरत होने पर आप को भी बुलाने आ जायेगें उसके बाद में रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश अपीलांट को बुलाने को नहीं आये व न ही अपीलांट तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश हुआ था। उसके बाद शाम के समय अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश को पूछा कि क्या हुआ तब रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने कहा की सभी के बंटवाडा बराबर बराबर हो गया है जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश को नकल देने के लिए कहा तो कहा कि पटवारी हल्का से नकले लेकर आपको दे देगें दुसरे दिन नकल के लिए कहा तो कहा कि रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश पटवारी ने नकल नहीं दी है जिस पर अपीलांट पटवारी हल्का के पास में जाकर नकल की मांग की तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे बंटवाडा हो गया है, जिस पर अपीलांट ने पटवारी को पूछा कि मेरे व मेरे सभी भाईयों के बराबर बंटवाडा हो गया क्या तो पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि तुम्हारे तो केवल तीन बीघा ही बंट में रखा है तो अपीलांट ने पटवारी हल्का को बताया कि रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने सभी के बराबर बंट करने का कह कर मेरा हस्ताक्षर व अंगूठा करवाया था अपीलांट ने पटवारी हल्का को बंटवाडा की नकले देने का निवेदन किया तो कहा कि एक दो दिन में नकल बनाकर दे दूंगा मगर पटवारी हल्का ने अपीलांट को नकले देने के लिए एक दो दिन का समय लेता रहा जिस पर अपीलांट को शक हुआ जिस पर अपीलांट ने दिनांक 15.06.2018 को तहसील कार्यालय में नकल लेने का आवेदन पेश किया व अपीलांट को तहसील कार्यालय से दिनांक 15.06.2018 को नकले प्राप्त हुई। नकले प्राप्त होने के बाद मे अपीलांट ने मेडता में वकीलों से सम्पर्क किया तो अपीलांट को बताया कि तुम्हारे बंट में केवल तीन बीघा जमीन ही बंट में रखी है। तब अपीलांट रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश के पास में जाकर ओलबा दिया कि मेरे को बराबर बंट का कह कर हस्ताक्षर व अंगूठा करवाया था व मेरे साथ में धोखा किया है तो रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने अपीलांट को कहा कि हमारे को बंट करवाना था कर लिया है अब आपको तीन बीघा वाला खेत भी नहीं बोने देगें तु चाहे जो कर लो इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने बराबर बंट का कह कर धोखे से हस्ताक्षर व अंगूठा के निशान करवाये थे अपीलांट टालनपुर कैम्प पर नहीं गया था व अपीलांट के साथ में रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने धोखा धड़ी की थी।

खसरा नम्बर 299 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.36 हैक्टर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी का काश्त कब्जासुदा है जिन पर सभी का बराबर बंट हक अधिकार व काश्त कब्जा है व रेस्पोडेन्ट हीराराम व ओमप्रकाश ने आपस में सांठ गांठ करके अपीलांट को बराबर बंट का कहकर हस्ताक्षर व अंगूठा करवाया था व अपीलांट के साथ में धोखा किया था। अपीलांट को पटवारी हल्का व तहसीलदार मेडता ने भी बुलाकर पूछताछ तक नहीं की थी व अपीलांट को बिना पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार ने बंटवाडा किया है जो कानूनी गलती की है। तहसीलदार मेडता को किसी भी खातेदारी के बीच में बंटवाडा होने पर कम ज्यादा जमीन बंट में रखने का अधिकार नहीं है बराबर बराबर जमीन को बंट किया जावे तो ही बंटवाडा करने का अधिकार है रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बादरराम खातेदार होते हुए भी उसको भूमिहीन बना दिया है इस प्रकार से तहसीलदार मेडता ने कानून विरूद्ध बंटवाडा किया है जो काबिल खारिज के है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 की नियत में फर्क आ गया था व जमीन की कुटरचित बंटवाडा के आधार पर अपीलांट के संयुक्त खातेदारी के खेतो पर जबरन अधिकार जताना चाहते थे। अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को बराबर पुनः खातेदारी अपीलांट के नाम से करवाने का कहने पर मना कर दिया। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट 1 से 5 की नियत में फर्क आ गया है व अपीलांट के काश्त करने पर दखल करने पर आमादा है व अपीलांट को यह भी धमकी दी है कि हमारे बंट में खेत है उन बैंक से ऋण ले लेगें व वर्तमान में कानून विरूद्ध बंटवाडा होने से कानून विरूद्ध हुए बंटवाडा के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 अपीलांट के काश्त को अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 299, 300, 302, 421 व 427 पर किसी प्रकार का खातेदारी हक अधिकार काश्त कब्जा नहीं होने के कारण से किसी प्रकार से ऋण लेने का अधिकार नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 बदनियति पर आमादा है और आपस में मिले हुए है व राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज होने से अपीलांट काश्त कब्जा में जबरन दखल दस्तनदाजी करना चाहते है। अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 299, 300, 302, 421 व 427 पर कदीम से काश्त कब्जा शान्तिपूर्वक काश्त करता आ रहा है व काबिज चला आ रहा है मगर अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 अपीलांट के काश्त व कब्जा दखल करने की धमकी दे रहे है व बैंक से ऋण लेने की धमकी दे रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में संयुक्त खातेदारी के खसरान को कम ज्यादा बंट करके गलत आदेश पारित किया है व रेस्पोडेन्ट बादरराम को भूमिहीन बना दिया है इस प्रकार से तहसीलदार के द्वारा पारित बंटवाडा काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करके गलत बंटवाडा करने में कानूनी व वाकायता गलती की है। वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता का निर्णय दिनांक 01.06.2018 को निरस्त करने व वादग्रस्त खसरान का बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार मेडता को पुनः सुनवाई करके बंटवाडा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के

रीडर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

बीच में बराबर करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट ने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2012(1) पृष्ठ 658 से 661 पेश किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री गोविन्द कड़वा ने मौखिक बहस में अपनी लिखित बहस के तथ्यों पर बल दिया एवं बताया कि अपीलान्ट ने राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शिविर में तहसीलदार मेडता के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहमति, स्वैच्छा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत सभी पक्षकारान उपस्थित होकर बंटवाडा प्रस्तुत किया उक्त बंटवाडे में तहसीलदार जी के द्वारा अपीलान्ट को भी पूछताछ करने पर बंटवाड़ा फार्म में बताये बंट अनुसार अपने बंट में भूमि होना स्वीकार किया इसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसमें अपीलान्ट से भी पूछताछ की गई, मौका की स्थिति व कब्जे के संबंध में सारी विधिक प्रकिया, कार्यवाही, रिपोर्ट आदि सभी पक्षकारों के रूबरू तैयार की गई उसके पश्चात ही बंटवाड़ा आदेश होकर भौतिक बंटवाड़ा हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकिया के पश्चात हुऐ विधिक बंटवाड़े को बिना जानकारी के बंटवाड़ा होने का तथ्य कथन करने का किसी भी खातेदार को कोई विधिक अधिकार नहीं है। हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक की जांच रिपोर्ट के बाद बंटवाडा किया था। जिसमें अपीलांट स्वयं उपस्थित था और उक्त बंटवाडे की सहमति प्रदान की गई थी, एवं पक्षकारान ने 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखित बंटवाडा भी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त बंटवाडे में भी अपीलांट के भी सहमति के हस्ताक्षर किए हुए है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के द्वारा सहमति से बंटवाड़े के आवेदन पर बाद जॉच विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही करते हुऐ सहमति के आधार पर बंटवाड़ा किया गया था तथा माफिक बंटवाड़ा पक्षकारान मौके पर काबिज है। जिससे अब अपीलांट को उक्त निर्णय के विरुद्व अपील करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। चूँकि पक्षकरान के मध्य सम्पूर्ण सम्पति का राजखुशी बंटवाड़ा हुआ था, जिससे अपीलान्ट अब मुकर नहीं सकता है। तहसीलदार जी के सक्षम जो भी सहखातेदार आपसी सहमति से मौके की स्थिति व अन्य परिस्थितियों के अनुसार अपने बंट में कम ज्यादा भूमि रख कर सहमति से बंटवाड़ा करवाने हेतु आवेदन करने पर उक्त अनुसार बंटवाड़ा करने का तहसीलदार को विधिक अधिकार है। अपीलान्ट द्वारा मिथ्या तथ्यों पर एवं विधि विरुद्व यह अपील प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील रेस्पोडेन्ट श्री गोविन्द कड़वा की बहस का समर्थन करते हुऐ एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2012(1) पृष्ठ 658 से 661 का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 299, 300, 302, 421 एवं 427 के खातेदारान जिसमें अपीलान्ट भी सम्मिलित है, के द्वारा उक्त खसरान के आपसी समझोते से बंटवाड़ा करने के संबंध में अपीलान्ट के साथ द्वारा अन्य खातेदारान द्वारा अपने हस्ताक्षरयुक्त एवं अगुष्ठ निशानयुक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वारा केम्प

टालनपुर में प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार पटवारी टालनपुर एवं आर. आई. गोटन द्वारा रिपोर्ट खातेदारान की आपसी सहमति अनुसार बंटवारा किया जाना उचित होने बाबत रिपोर्ट अंकित की है। इसके अतिरिक्त खातेदारान द्वारा जिसमें अपीलान्ट भी सम्मिलित है, के द्वारा 100/–रूपये के स्टाम्प पर बंटवाड़ा हक खातेदारी निष्पादित किया है, जिस पर अन्य खातेदारान के साथ अपीलान्ट का फोटो लगा हुआ है, एवं पक्षकारान जिसमें अपीलान्ट भी सम्मिलित है के द्वारा उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की भूमि का आपसी समझोते से बंटवाड़ा किये जाने की घोषणा की गई है, जिस पर पक्षकारान के साथ–साथ अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा उपरोक्तानुसार दस्तावेजात, पटवारी हल्का टालनपुर , आर.आई. गोटन की रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुवे आदेश जैर अपील पारित किया है। जहां तक वकील अपीलान्ट का कथन कि अपीलान्ट के साथ धोखा कर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये गये है, तो उक्त संबंध में अपीलान्ट सक्षम स्तर पर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में कोई सारवान एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होता है। इसलिए आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर